

No. Acd/1825
06/10/2026

**जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,
जबलपुर- 482004 (म.प्र.)**

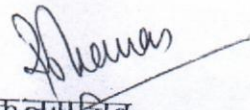
उद्यानिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीटों पर ऑनलाईन प्रवेश सत्र 2026-2027

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुआँ, गढ़ाकोटा जिला सागर में द्वि-वर्षीय (दो विषय में) डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु (10+2) बारहवीं (कृषि/गणित/जीव विज्ञान) विषय के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं उद्यानिकी डिप्लोमा हेतु विद्यार्थी ऑनलाईन द्वितीय काउंसिलिंग में म.प्र. स्थित किसी कियोस्क/ऑनलाईन से वेबसाइट www.jnkvv.org एवं kvv.mponlinegov.in माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। उद्यानिकी डिप्लोमा कोर्स निम्नांकित विषयों में उपलब्ध है:-

1. पौधशाला प्रबंधन (Nursery Management) - 40 सीटें
2. बीज उत्पादन (Seed Production) - 39 सीटें

पाठ्यक्रम	ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क का भुगतान कर लॉक करना	मेरिट सूची के आधार पर ऑनलाईन सीट का आवंटन	निर्धारित शुल्क का भुगतान कर इच्छित पाठ्यक्रम में प्राथमिकता क्रम का ऑनलाईन चयन व लॉक करना	आवंटन पत्रों की ऑनलाईन उपलब्धता	ऑनलाईन काउंसिलिंग शिक्षण शुल्क का भुगतान	उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुआँ, गढ़ाकोटा में दस्तावेजों का सत्यापन	गढ़ाकोटा संस्थान में उपस्थिति प्रवेश
उद्यानिकी डिप्लोमा कोर्स	06.10.2026 से 10.10.2026	12.10.2026	13.10.2026 से 18.10.2026	21.10.2026	22.10.2026 से 30.10.2026	22.10.2026 से 30.10.2026 (शाम 6 बजे तक)	22.10.2026 से 30.10.2026

अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व उपर दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश संबंधी नियम एवं विस्तृत जानकारी की सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवें।


कुलसचिव
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर
 6/10/26

No. Acd/1825
06/10/26

No. Acd/1233
17/7/26

1

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

उद्यानिकी विषय में प्रारम्भ होने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विवरण

1. पाठ्यक्रम का स्थल :- "उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान," रनगुआ, गढाकोटा, जिला-सागर (म0प्र0)
2. प्रारम्भ वर्ष :- शैक्षणिक सत्र 2008-2009 से
3. उपलब्ध पाठ्यक्रम:- उद्यानिकी डिप्लोमा दो पाठ्यक्रमों में उपलब्ध हैं
1. पौधशाला प्रबंधन (नर्सरी मैनेजमेंट) 2. बीज उत्पादन (सीड प्रोडक्शन)
4. पाठ्यक्रम की अवधि :- दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
5. पात्रता :- 10+ 2 पाठ्यक्रम (विषय-कृषि/गणित/जीव विज्ञान)
(केवल मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से निवास करने वाले विद्यार्थियों हेतु)
6. प्रवेश का आधार :- मेरिट (प्रावीण्य सूची) के आधार पर (अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 50 प्रतिशत या अधिक) (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत)
7. शिक्षा का माध्यम :- हिन्दी
8. सीटों का विवरण :- उपलब्ध सीटों का विभिन्न श्रेणी (वर्गवार) सीटों का विवरण

वर्ग	पौधशाला प्रबंधन			बीज उत्पादन		
	X बिना वर्ग	F महिला	कुल सीट	X बिना वर्ग	F महिला	कुल सीट
अनारक्षित (UR)	11	05	16	11	05	16
अनुसूचित जनजाति (ST)	06	02	08	06	02	08
अनुसूचित जाति (SC)	04	02	06	04	02	06
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	02	06	04	02	06
ई.डब्ल्यू.एस (EWS)	03	01	04	03	01	04
योग	28	12	40	28	12	40

नोट :- शासन के नियमानुसार यदि आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त स्थानों को नियमानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के पात्र अभ्यर्थियों हेतु सीटें आरक्षित हैं। उक्त आर्थिक कमजोर वर्ग की सीटें रिक्त होने की स्थिति में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।

अनुसूचित जन जाति के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।

सभी वर्गों/श्रेणियों के अर्न्तगत महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत होरीजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी वर्ग/श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें, तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी वर्ग/श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसिलिंग प्रक्रिया – 2026–2027

Diploma in Horticulture

उद्यानिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम गढ़ाकोटा जिला सागर (म.प्र.)

Nursery Management (पौधशाला प्रबंधन) Seed Production (बीज उत्पादन)

ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसिलिंग हेतु छः स्टेप

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)
2. ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम का चयन एवं ऑनलाईन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice filling and payment of online application/portal fee)
3. दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification)
4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)
5. ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिंग शुल्क का भुगतान (Online part payment of counseling fee)
6. आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश (Reporting and Admission in allotted Institute)

काउंसिलिंग में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों तथा काउंसिलिंग कार्यक्रम के आधार सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी स्टेप्स 1 से 6 तक पालन करना होगा।

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए सभी अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीयन करवाएंगे। ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थी जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की वेबसाइट www.jnkvv.org एवं kvv.mponline.gov.in द्वारा प्रदेश में कहीं से भी सम्मिलित हो सकते हैं।

सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड एस.एम.एस./ई.मेल द्वारा प्राप्त होगा।

अगली बार अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगइन कर सकते हैं।

सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिए पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।

अभ्यर्थी को ये सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।



पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा Forget Password पर क्लिक कर पासवर्ड Reset किया जा सकेगा।

2. ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम का चयन एवं ऑनलाइन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice filling and payment of online application/portal fee)

सफलतापूर्वक लॉगइन पश्चात अभ्यर्थी अपने वांछित जानकारी का उपयोग कर पाठ्यक्रमवार प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा सभी उपलब्ध पाठ्यक्रमों का प्राथमिकतानुसार ऑनलाइन चयन करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर चॉइस लॉक करना अनिवार्य है।

अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकता क्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अभ्यर्थियों को शुल्क रु. 550/- का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि अप्रतिदेय (Non refundable) है। अपनी चॉइस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का व्यौरा तथा उनकी चॉइस (Choice) का क्रम प्राथमिकता क्रम के अनुसार मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें।

शुल्क का भुगतान के लिए निम्नलिखित दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

1. इन्टरनेट बैंकिंग (समस्त बैंक)
2. ए.टी.एम./डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा)
3. दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification)

3. अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकता क्रम को लॉक करने के पश्चात सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को सत्यापित करवाना होगा।

- 10 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र
- 12 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र माईग्रेशन प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- गेप प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती

मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे। अभ्यर्थियों को (Elible/Not Eligible) की पावती जारी करेंगे। Not Eligible अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथी के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं अथवा आरक्षित श्रेणी में Not Eligible होने पर अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से अनारक्षित अभ्यर्थी की श्रेणी में काउंसिलिंग हेतु सम्मिलित हो सकेगा।

4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

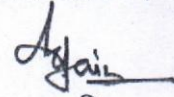
अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम मेरिट के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में होगा। जिसे वे अपने लॉगईन आई.डी./पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे।

5. ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिंग शुल्क का भुगतान (Online part payment of counseling fee)

आवंटन के पश्चात विद्यार्थी द्वारा अपने लॉगईन आई.डी./पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिंग शुल्क राशि रु. 1000/राशि रुपया एक हजार मात्र का भुगतान करना होगा। सफलता पूर्वक शुल्क भुगतान करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का व्यौरा मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें तथा प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।

6. आवंटित संस्था उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान गढाकोटा, जिला सागर में उपस्थिति एवं प्रवेश

अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटन पत्र, काउंसिलिंग शुल्क भुगतान की पावती तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। आवश्यक मूल अभिलेख/प्रमाण पत्र जांच करने के पश्चात छात्रों को वापस कर दिये जायेंगे एवं सभी अभिलेखों के स्वप्रमाणित/सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से जमा कर लिये जायेंगे।



कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विष्वविद्यालय

जबलपुर



